नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक

(अनुसूचित (Scheduled) बैंक)

हमारी बैंक की विभिन्न आकर्षक ऋण योजनाएं

1. किसान क्रेडिट कार्ड योजना :

कृषकों की फसल उत्पादन एवं उपभोग संबंधी सभी प्रकार की अल्पकालीन ऋण आवश्यकता को अधिक सुविधाजनक ढ़ंग से पूरा करने के लिये यह योजना लाभदायक है।

अंशदान : कृषको के पारिवारिक श्रम को अंशदान माना जावेगा।

ब्याजदर : रू.3.00 लाख तक 7% वार्षिक। एक वर्ष के अन्दर अदायगी करने वाले कृषको को 2 % अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान की जावेगी। समय पर अदायगी नही करने पर सामान्य ब्याजदर 13 % देय होगी।

फसल बीमा : राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत फसलों का बीमा किया जाता है।

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमाः केसीसी धारक का रू.50000/— तक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लाभ उपलब्ध है।

2. कृषि यंत्रीकरण ऋण योजना :

कृषको द्वारा समय से सुगमतापूर्वक कृषि कार्य सम्पन्न करने, मानव श्रम समस्या से निपटने, फसल कृषि आगतों एंव उत्पाद विपणन की त्वरित व्यवस्था हेतु ट्रेक्टर एवं ट्रेक्टर चलित उपकरण, ट्राली आदि क्रय करने हेतु सावधि ऋण सहायता उपलब्ध कराना।

पात्रता : न्यूनतम 3.24 हेक्टर कृषि भूमि।

अंशदान : योजना लागत का न्यूनतम 15 प्रतिशत।

ब्याजदर : रू.2.00 लाख तक 13 % वार्षिक। 02 लाख से अधिक पर 14.50 % वार्षिक।

3. डेयरी उद्यमिता विकास योजना :

कृषक, उद्यमी, एनजीओ, कम्पनी, स्वयं सहायता समूह, डेयरी सहकारी समितियॉं, मिल्क यूनियन/फेडरेशन आदि।

पात्र गतिविधियॉं : 02 से 10 गाय/भैस की छोटी डेयरी इकाई की स्थापना, बछिया पालन, दुधारू पशु ईकाई सहित वर्मी कम्पोस्ट, दुध निथारने वाली मशीनों/मिल्क टेस्टरों/बल्क दूध प्रशीतन ईकाइयों की खरीद।

अंशदान : योजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत।

अुनदान : नाबार्ड द्वारा निर्धारित ईकाई लागत का 25 प्रतिशत से 33.33 प्रतिशत तक अनुदान नाबार्ड से उपलब्ध है।

ब्याजदर : रू.2.00 लाख तक 13 % वार्षिक। 02 लाख से अधिक 10 लाख तक 14.50 % वार्षिक।

4. शैक्षणिक ऋण '' विद्यावर्धिनी योजना '' :

भारतीय मूल के मेधावी छात्रो को भारत/विदेश में मान्यता प्राप्त शैक्षिणिक संस्थानों से स्नातक/स्नातकोत्तर/ व्यावसायीक शिक्षा जैसे इंजिनियरिंग, चिकित्सा, कम्प्यूटर, प्रबंधन आदि शिक्षा हेतु ऋण योजना।

अधिकतम ऋण राशि : भारत में शिक्षा हेतु रू.07.50 लाख एवं विदेश में शिक्षा हेतु रू.15.00 लाख

अंशदान : रू.4.00 लाख तक निरंक, रू.4.00 लाख से अधिक पर भारत में शिक्षा हेतु योजना लागत का न्यूनतम 05 प्रतिशत एवं विदेश में शिक्षा हेतु योजना लागत का न्यूनतम 15 प्रतिशत

ब्याजदर : रू.4.00 लाख तक 13.50 % वार्षिक। 04 लाख से अधिक पर 12.50 % वार्षिक।

पुर्नभुगतान : पाठयक्रम की अवधि के एक वर्ष पश्चात से या नौकरी मिलने के 06 माह बाद से, जो भी पहले हो।

5. एनएमजीबी आवास ऋण योजना :

उद्‍देश्य : भवन क्रय, निर्माण, मरम्मत व नवीनीकरण

पात्रता : कृषक, स्थाई/नियमित वेतन भोगी कर्मचारी, व्यवसायी एवं स्वनियोजि

अधिकतम ऋण राशि रू.10.00 लाख एवं न्यूनतम ऋण राशि रू.01.00 लाख

अंशदान : योजना लागत का 15 से 25 प्रतिशत

ब्याजदर : रू.5.00 लाख तक 10.50 प्रतिशत एवं रू.05.00 लाख से अधिक पर 10.75 प्रतिशत वार्षिक। (ब्याजदर ऋण अवधि अनुसार लागू) ।

6. स्वरोजगारी क्रेडिट कार्ड योजना :

उद्‍देश्य : छोटे कारीगरों, खुदरा व्यापारी, हथकरघा बुनकरों, सेवा क्षेत्र, मछुआरों, स्वनियोजि व्यक्तियों एवं अन्य छोटे उद्यमियों को कार्यशील पूंजी ऋण या सावधि ऋण।

कार्ड की वैधता अवधि खातें के नियमित संचालन होने पर 05 वर्षो तक है।

समूह बीमा अन्तर्गत ऋणी को रू.50000/— तक दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध है।

ब्याजदर : 12.50 प्रतिशत वार्षिक।

जीसीसी योजना अन्तर्गत रू.25000/– की अधिकतम सीमा तक निर्बाध अग्रिम सुविधा उपलब्ध है। इसी प्रकार दस्तकारों/बुनकरों हेतु एसीसी योजना उपलब्ध है।

7. सोलर होम लाईटिंग सिस्टम हेतु वित्तपोषण :

जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत नवीन और नवीनीकरण उर्जा मंत्रालय भारत सरकार की लक्षित ग्राहकवर्ग (Targeted Cliental) को सोलर होम लाईट एवं वाटर हिटिंग यूनिट वित्तपोषण के लिये ऋणों पर पूंजी और ब्याज सब्सिडी योजना।

पात्रता : कृषक, खेतीहर मजदूर, वेतन भोगी कर्मचारी, व्यवसायी एवं स्वनियोजि, छोटे कारोबारी आदि

ऋण सीमा : एमएनआरई व नाबार्ड द्वारा स्वीकृत योजना लागत का 80 प्रतिशत तक।

अंशदान : योजना लागत का 20 प्रतिशत।

अनुदान : योजना लागत का 30 प्रतिशत तक।

ब्याजदर : 05.00 प्रतिशत वार्षिक।

ऋण का पुनर्भुगतान अधिकतम 05 वर्षो में देय होगा।

8. नर्मदा मालवा स्टार मार्टगेज योजना :

व्यापारी, डॉक्टर, उद्यमी, किसान, व वेतन भोगी जिनके पास बंधक योग्य अचल सम्पत्ती है, अपनी सम्पत्ती को बंधक रख कर योजना अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते है।

उद्देश्य : व्यापारिक गतिविधियों, आवास निर्माण/मरम्मत, परिवार के मांगलिक आयोजन, शिक्षण, आदि हेतु।

ऋण सीमा : अचल सम्पत्ती के डिस्ट्रेस मूल्य का 50 प्रतिशत या वार्षिक आय का 04 गुना तक, दोनो में से जो भी कम हो।

ब्याजदर : रू.5.00 लाख तक 14.50 प्रतिशत एवं रू.5.00 लाख से अधिक पर 15.50 प्रतिशत वार्षिक।

ऋण का पुनर्भुगतान 96 समिकृत मासिक किश्तों में।

9. केसीसी धारको को वाहन ऋण योजना :

नियमित केसीसी धारको हेतु कृषि बीज, खाद, दवाई इत्यादि गॉव में लाने एवं कृषि उत्पादों के विपणन हेतु वाहन ऋण योजना।

पात्रता :विगत तीन वर्षो का केसीसी खाता संतोषजनक होना अनिवार्य है। 04 पहिया वाहन हेतु कम से कम 10 एकड तथा 02 पहिया वाहन हेतु कम से कम 5 एकड कृषि भूमि होना अनिवार्य है।

ऋण सीमा : 04 पहियॉ वाहन हेतु अधिकतम 5.00 लाख एवं 02 पहियॉ वाहन हेतु अधिकतम रू. 50000/— ।

अंशदान : नये वाहन हेतु न्यूनतम 25 प्रतिशत तथा पुराने वाहनों हेतु न्यूनतम 35 प्रतिशत अंशदान।

ब्याजदर : रू.2.00 लाख तक 13 प्रतिशत वार्षिक एवं रू.2.00 लाख से अधिक पर 14.50 प्रतिशत वार्षिक

ऋण का पुनर्भुगतान 10 अर्धवार्षिक किश्तों में देय होगा।

10. समृध्दि ऋण योजना :

बैंक शाखा से नियमित वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय/अर्ध शासकीय कर्मचारी को उनकी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण ।

ऋण का प्रकार : वेतन खातें पर अधिविकर्ष सुविधा।

पात्रता : निम्न/मध्यम आयवर्ग के शासकीय/अर्धशासकीय कर्मचारी जिनका वेतन बचत खाता शाखा में है तथा वेतन से प्रतिमाह कटौत्री 50 प्रतिशत से अधिक नही है।

ऋण सीमा : वेतन बचत खातें में जमा मासिक शुध्द वेतन का 10 गुना।

ब्याजदर : 14.00 प्रतिशत वार्षिक।

11. सूक्ष्म वित्त अन्तर्गत वित्तपोषण :

सूक्ष्म वित्त अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह के संयोजन, संयुक्त देयता समूह को गतिविधि आधारित ऋण सुविधा, स्वरोजगारी क्रेडिट कार्ड, जनरल क्रेडिट कार्ड, आर्टिजन क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से वित्तपोषण कर कमजोर वर्ग के व्यक्तियों हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध है।

ब्याजदर : योजना अनुरूप 11 प्रतिशत से 13.50 प्रतिशत तक।

12. अन्य कृषि योजनाएँ :

कृषि संबंधित विभिन्न उद्देश्यों जैसे लघु सिंचाई, फलोद्यान, कृषि परिवहन, कृषि यंत्रीकरण, कृषि बंधक ऋण, कृषि सहायक गतिविधियों हेतु, वेयर हाउस रसीद विरूद्ध ऋण, कृषि क्लिनिक व कृषि व्यवसाय आदि हेतु कृषि भूमि एवं योजना लागत के अनुरूप सावधि ऋण सुविधाएँ उपलब्ध है।

ब्याजदर : रू.2.00 लाख तक 13 प्रतिशत वार्षिक।

रू.2.00 लाख से अधिक रू.10.00 लाख तक 14.50 प्रतिशत वार्षिक

पुर्नभुगतान : 10 से 18 अर्ध वार्षिक किश्तों में।